रजिस्ट्री स. डी. (डी. एम.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 19, 1984/ज्येष्ठ 29, 1906
No. 216] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 19, 1984/JYAISTHA 29, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जून, 1984

सी 183/84-सीमाशुल्क

सा. का. नि. 459(अ) :—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं को जो नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, विखंडित करती है :—

अनुसूची

1. सं. 311/83-सीमाशुल्क, तारीख 22 नवम्बर, 1983 ।
2. सं. 16/84-सीमाशुल्क, तारीख 13 फरवरी, 1984 ।

[फा. सं. 355/229/84-सीमाशुल्क-1]

एम. एन. विश्वास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th June, 1984

No. 183|84-CUSTOMS

G. S. R. 459(E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby rescinds the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) specified in the Schedule below :—

SCHEDULE

1. No. 311|83-Customs, dated 22 nd November, 1983.
2. No. 16|84-Customs, dated 13th February, 1984.

[F. No. 355|229 84-Cus. I]

M. N. BISWAS, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984